पं. दीन दयाल उपाध्याय
विशेष योग्यजन शिविर–2017

पंजीयन हेतु परामर्श पत्र (Process of Registration)

राजस्थान सरकार द्वारा विशेष योग्यजनों को लाभान्वित करने के लिए निम्नानुसार अभियान प्रारभ किया गया है:

(I) **चिन्हीकरण एवं पंजीयन** 01 जून से 24 सितम्बर, 2017 तक (ई–मित्र / अटल सेवा केन्द्र के माध्यम से विशेष योग्यजनों द्वारा पंजीयन)।

(II) **निःशक्तता प्रमाणीकरण शिविर** 25 सितम्बर से 12 दिसम्बर, 2017 तक (विधानसभावार कैम्प आयोजित कर)।

(III) **कृत्रिम अंग / सहायक उपकरण वितरण शिविर** 13 दिसम्बर से 31 मार्च, 2018 तक (जिला स्तर पर कैम्प आयोजित कर)।

उद्देश्य:

- चिन्हीकरण (Identification) एवं पंजीयन (Registration) करवाना।
- निःशक्तता प्रमाण पत्र (Disability Certificate) जारी करवाना।
- कृत्रिम अंग / सहायक उपकरण (Aids & Appliances) उपलब्ध करवाना।
- यू.डी.आई.डी.कार्ड (Unique Disability ID Card) जारी करवाया जाना।
- पेंशन, बस पास, ऋण, पालनहार इत्यादि योजनाओं से लाभान्वित करवाना।

राज्य के प्रत्येक विशेष योग्यजन को (चाहे उसके पास पहले से निशक्तताः प्रमाण पत्र बना हुआ है) पंजीयन करवाना अपेक्षित है, जिससे उनका भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आई.डी. कार्ड (Unique Disability Id Card) बनाया जा सकें एवं उन्हें कृत्रिम अंग / उपकरण, पेंशन आदि समस्त योजनाओं का लाभ दिया जा सकें।

अतः आपसे निवेदन है कि आप अपने निकटतम ई–मित्र केन्द्र / अटल सेवा केन्द्र पर प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक जाकर निःशुल्क पंजीयन करावे, आप स्वयं के कम्प्यूटर / मोबाईल से भी पंजीयन (Self Registration) कर सकते है।

पंजीयन करवाने हेतु आवश्यक जानकारी

1. नाम, पता, पिता का नाम आदि
2. भामाशाह कार्ड नम्बर
3. आधार कार्ड नम्बर
4. पेशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.)

पंजीयन हेतु वाछित दस्तावेज (Documents)

1. मूल–निवास प्रमाण पत्र।
2. परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र।
3. निःशक्तता प्रमाण पत्र (यदि पहले बना हो)

यदि भामाशाह कार्ड नही बना हुआ है तो ई–मित्र पर पहले इसे बनवाये।

इसके लिए निम्नलिखित की आवश्यकता है:–

1. आधार कार्ड नम्बर / पैन कार्ड / बी.पी.एल / मतदाता पहचान पत्र कार्ड / पासपोर्ट / राशन कार्ड
2. बिजली / पानी का बिल
3. फोटो
4. बैक विवरण मय पास बुक

स्वः पंजीयन की विधि–

सर्वप्रथम एस.एस.ओ आई डी. बनवाये, फिर उसके बाद sso.rajasthan.gov.in पोर्टल पर एस.एस. ओ आई डी. के माध्यम से खोले फिर जिस परिवार के सदस्य का पंजीयन करवाना है, उसका चयन करे, फिर सूचना जो भामाशाह से नही आ रही है, उन सभी जानकारियो को भरें, फिर पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, फिर निःशक्तता संबंधी सभी सूचनाए भरे और फिर सबमिट कर देवें।

निदेशालय विशेष योग्यजन, राजस्थान, जयपुर

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1 ए, विशेष योग्यजन भवन, राजमहल होटल के पीछे, जयपुर, फोन नम्बर : 2222249, 2222267 • फैक्स नम्बर : 2222249

Website : www.sje.rajasthan.gov.in • E-mail : sjeraj_dis@yahoo.com

सम्पर्क : सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, पाली (राज.) फोन नं. 02932-222706

विशेष योग्यजन कल्याणार्थ संचालित प्रमुख योजनायें

1. पेंशन योजनाः-

- **पात्रता**— परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 48000/— रूपये तथा शहरी क्षेत्र में 60000/— रूपये।
- **परिलाभ**— 0 से 8 वर्ष तक की आयु 250/— रुपये प्रतिमाह, 8 से 75 वर्ष की आयु तक 500/— रूपये प्रतिमाह एवं 75 वर्ष से ऊपर होने पर 750/— रूपये प्रतिमाह पेंशन देय (01 जुलाई, 2017 से सभी उम्र के लाभार्थियों को 750/— रूपये प्रतिमाह)।

2. छात्रवृत्ति योजना -

- **पात्रता**— ऐसे छात्र जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.00 लाख रुपये से कम हो को कक्षा एक से आठ तक के छात्रों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति देय। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामााजिक न्याय एंव अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कक्षा 9 से कक्षा 10 तक के विधार्थियो, जिनके परिवार की आय 2.00 लाख तक हो एवं कक्षा 11 से डिप्लोमा/डिग्री लेवल तक के छात्र, जिनके परिवार की आय 2.50 लाख तक हो एवं उच्च शिक्षा हेतु अध्ययनरत छात्र—छात्राओं, जिनके परिवार की आय 6.00 लाख तक हो ऐसे छात्रो को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
- **परिलाभ**— नियमानुसार अनुरक्षण भत्ता एवं फीस का पुनर्भरण किया जाता है।

3. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना-

- **पात्रता**— विशेष योग्यजनों जिनकी आयु 18 से 55 वर्ष के बीच हो तथा जिनकी स्वयं की एवं परिवार की वार्षिक आय 2.00 लाख रुपये तक हो।
- **परिलाभ**— स्वयं का स्वरोजगार प्रारम्भ करने के लिए 5.00 लाख रुपये की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध करवाना जिस पर ऋण का 50 प्रतिशत (अधिकतम 50 हजार तक) राशि अनुदान के रूप में देय।

4. सुखद दाम्पत्य विवाह अनुदान योजना-

- **पात्रता**— विशेष योग्यजन युवक/युवतियों को जिनके परिवार की वार्षिक आय 50000/— रूपये तक हो।
- **परिलाभ**— ऐसे युवक/युवतियों द्वारा विवाह करने पर रुपये 25,000/— प्रति दम्पत्ति आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना बजट घोषणा वर्ष 2017—18 के तहत उक्त राशि को 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये किया गया जो दिनांक 22.05.2017 के बाद होने वाले विवाह के लिए प्रभावी है।

5. संयुक्त सहायता, कृत्रिम अंग/उपकरण हेतु अनुदान योजना -

- **पात्रता**— विशेष योग्यजनों, जिनका परिवार आयकर दाता नहीं हो।
- **परिलाभ**— स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता एवं शारीरिक कमी को पूर्ण करने हेतु कृत्रिम अंग/उपकरण के लिए रुपये 10,000/— (दस हजार) तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना।

6. विशेष योग्यजन अनुप्रति योजना-

- **पात्रता**— विशेष योग्यजन छात्र—छात्रायें जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.00 लाख रूपये तक एवं संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भारतीय सिविल सेवा परीक्षा एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यार्थी। राष्ट्रीय स्तर की सूचीबद्ध शैक्षणिक संस्थाओं तथा राज्य के राजकीय अभियांत्रिकी महाविधालय/ चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर।
- **परिलाभ**— सिविल सेवा परीक्षा हेतु राशि रुपये 1.00 लाख, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा हेतु 50 हजार रुपये तथा IIT, IIMS, राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज इत्यादि शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेशित होने वाले अभ्यर्थियों को 50 हजार रुपये एवं राज्य के राजकीय इंजिनियरिंग कॉलेज एवं मेडिकल कॉलेजों में प्रवेशित होने वाले अभ्यर्थियों को 10 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देय।

7. विशेष योग्यजन पालनहार योजना-

- **पात्रता**— विशेष योग्यजन माता/पिता के बच्चे, विशेष योग्यजन के परिवार का वाषिक आय 1.20 लाख रुपये से अधिक नहीं हो।
- **परिलाभ**— बच्चों को 0 से 6 वर्ष की आयु तक 500/—रूपये प्रतिमाह एवं 6 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु तक 1000/— रूपये प्रतिमाह अनुदान देय — बच्चे को दो वर्ष से पांच वर्ष की आयु के बीच आंगनबाड़ी/स्कूल जाना एवं 6 वर्ष की आयु के बाद विद्यालय में अध्ययनरत होना अनिवार्य।

8. आस्था योजना-

- **पात्रता**— ऐसे परिवार जिनमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों का विशेष योग्यजन होना, तथा परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख हो, ऐसे परिवारों को आस्था कार्ड जारी किया जाना ।
- **परिलाभ**— आस्था कार्डधारी परिवार को सम्बन्धित विभाग द्वारा बी.पी.एल. के समकक्ष सुविधा उपलब्ध करवाना।